

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :- प्रभजातसिंह गिल आर.ए.एस.

अपील संख्या :- 84 / 20,85 / 20,86 / 20

1. रमनदीपकौर पुत्र जगजीतसिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

....

अपीलांत

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत 3 पीडब्ल्युएम खाजूवाला।
2. बलजीतकौर पत्नी हरजीतसिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. गुरविन्द्रसिंह पुत्र हरजीतसिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. भुपेन्द्रसिंह पुत्र हरजीतसिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
5. जगसीरसिंह पुत्र मुकन्दसिंह जाति जटसिख निवासी 28 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
6. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

....

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

:निर्णय:

दिनांक 06.09.2021

अपील संख्या 84 / 2020, 85 / 2020, 86 / 2020 की सुनवाई एक साथ की गई है क्योंकि इन सभी अपीलों में विवाद का बिंदु समान ही है। अपील का ब्यौरा इस प्रकार से है की विवादित आराजी चक 28 के वाई डी के मुरब्बा नंबर 239 / 49 के किला नंबर 4, 7,14 और 17 कुल 4 बीघा में से 1/2 हिस्सा इंतकाल संख्या 155 से संबंधित मुरब्बा नंबर 19 / 1 किला नंबर 4 से 7 और 14 से 17 , कुल 8 बीघा मुरब्बा नंबर 19 / 10 के किला नंबर 1 से 15 कुल 15 बीघा, मुरब्बा नंबर 19 / 18 के किला नंबर 1,2,10,11, 20 कुल 5 बीघा कुल रकबा 28 बीघा में से 1/3 हिस्सा इंतकाल संख्या 156 से संबंधित मुरब्बा नंबर 239 / 49 के किला नंबर 2,9,12,19,22 कुल 5 बीघा जमीन इंतकाल संख्या 162 से संबंधित अपीलांत के भाई अमनदीप सिंह के नाम दर्ज थी। अमनदीप सिंह की मृत्यु के बाद वह जमीन इंतकाल संख्या 155,156 और 162 के जरिए रमनदीप कौर और बलजीत कौर के नाम दर्ज हो गई। अपीलांत का कहना है की बलजीत कौर का उस जमीन में कोई हक नहीं है। रेस्पोंडेंट संख्या 3 और 4 द्वारा फर्जी वारिसनामा बनवा कर अपनी माता बलजीत कौर के नाम जमीन दर्ज

करवा दी गई है इसलिए अपीलांट ने अर्ज किया है कि विरासत इंतकाल को निरस्त किया जाकर जमीन अपीलांट के नाम दर्ज कीजिए।

अदालत द्वारा दोनों पक्षों को सुना गया। बहस के दौरान निम्न तथ्य सामने आए हैं:-

जगजीत सिंह, हरजीत सिंह और जगसीर सिंह तीन भाई थे। जगजीत सिंह की मृत्यु 1990 में हुई थी। जगजीत सिंह की दो संतानें थीं - रमनदीप कौर और अमनदीप सिंह। जगजीत सिंह की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी बलजीत कौर की शादी मृतक के छोटे भाई हरजीत सिंह के साथ हो गई। इस शादी से दो संतानें पैदा हुईं - गुरविंदर सिंह और भूपेंद्र सिंह। सन् 2015 में अमनदीप सिंह कुंवारा की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसके नाम दर्ज जमीन बलजीत कौर और रमनदीप कौर के नाम दर्ज हो गई।

इन तथ्यों पर गौर करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि रमनदीप कौर का यह आक्षेप की बलजीत कौर अमनदीप की जायज वारिस नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। सिर्फ इस आधार पर कि अपने पहले पति की मृत्यु होने के बाद बलजीत कौर ने दूसरी शादी कर ली, बलजीत कौर का पहली शादी से उत्पन्न संतान की माता होने का दर्जा खत्म नहीं हो जाता है। बलजीत कौर आज भी अमनदीप की माता के तौर पर उसकी वारिस है।

अदालत का यह भी समाधान है कि रमनदीप कौर का इस जमीन में कोई हक नहीं बनता है क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत माता के जीवित रहते, जो की प्रथम श्रेणी की वारिस है, बहन जो कि द्वितीय श्रेणी की वारिस है का कोई हक नहीं बनता है लेकिन यह irregularity खुद ब खुद cure हो गई है क्योंकि रमनदीप कौर द्वारा उसके नाम दर्ज हुई जमीन की दस्तबरदारी बलजीत कौर के नाम करवा दी गई है। हालांकि रमनदीप द्वारा उस दस्तबरदारी को भी चुनौती दी गई है। रमनदीप का कहना है कि यह दस्तबरदारी धोखे से करवाई गई है। लेकिन अदालत का मानना है यह मसला irrelevant हो चुका है क्योंकि विवादित जमीन पर रमनदीप का कोई हक ही नहीं बनता था। इसमें दूसरी अहम बात यह भी है कि रजिस्टर्ड दस्तावेज की वैधता को इस अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसलिए इस विवेचन की बुनियाद पर अदालत द्वारा अपील संख्या 84/2020, 85/2020, और 86/2020 को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक

को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोतसिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)